भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2259
14 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: अगरवुड का रोपण

2259. श्री दिलीप शइकीया:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम सहित उत्तर-पूर्व में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अगरवुड के रोपण को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अगरवुड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का अगरवुड की कृषि और उत्पादन के विपणन और उद्योगों की स्थापना से संबंधित विषयों को शामिल करते हुए एक अलग नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : अगरवुड (एक्विलेरिया मैलैकेन्सिस) उत्तर-पूर्व भारत का एक बहुमूल्य जैव-संसाधन है। अगरवुड गहरे रंग का, रेसीन-संसेचित हर्टवुड है जो विशेष कवक के संक्रमण से अगर के पेड़ों में बनता है। आज की तारीख में अगरवुड के विकास के लिए कोई अलग योजना नहीं है और भारत सरकार द्वारा कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रस्तावित नहीं किया गया है। असम के राज्यपाल ने दिनांक 11 जनवरी 2021 को असम राजपत्र संख्या सीएल 127/2020/70 में "असम अगरवुड प्रमोशन पॉलिसी 2020" को अधिसूचित किया। यह "नीति 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी है और 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी"।

*****